संख्या-557/2025/आई/1139316/23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 44 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **अलीगढ़ मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 44 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 37,12,93,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ बारह लाख तिरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 12,99,57,000/- (रूपये बारह करोड़ निन्यानबे लाख सत्तावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अलीगढ़	120608	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सांकरा इस्माइलपुर मार्ग के कि0मी0 4 (गोपालपुर आबादी) में मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.47	63.43	22.20
2	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अलीगढ़	125985	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत छतारी अतरौली कासगंज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 105) के कि0मी0 24 में नाले का निर्माण एवं कि0मी0 33 में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण।	Culvert	77.39	27.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अलीगढ़	120194	अतरौली पाली मुकीमपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 14 बाढौल आबादी भाग एवं किमी0 19 में हरदौई आबादी भागों में नाले का निमार्ण कार्य।	1.31	94.39	33.04
4	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710830	कासगंज अमांपुर मार्ग से सैलई मार्ग पर पी0सी एवं आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य	4.900	146.48	51.27
5	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710758	कासगंज अमांपुर मार्ग से खुशकरी लोधीपुर समसपुर डेंगरी शेखपुर हुण्डा होते हुए एटा अमांपुर सहावर मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य	0.630	47.34	16.57
6	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710771	एटा अमांपुर सहावर मार्ग से अमांपुर जारई वाया विकौरा मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य	0.870	71.02	24.86
7	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710157	अलीगंज बेरू धर्मपुर शहवाजपुर मार्ग के किमी0 41 में 3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	0.500	43.05	15.07
8	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710157	अलीगंज बेरू धर्मपुर शहवाजपुर मार्ग के किमी0 39 में 3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	0.050	43.15	15.10
9	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	715516	दीपपुर से रोशन नगर मार्ग पर पी0सी0 एवं आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य	2.000	51.76	18.12
10	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. एटा	170250	रिजोर नाजिरपुर मार्ग से सफेदपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.850	44.13	15.45
11	I/327671/2025 dt 01.11.2 5	प्रा.ख. एटा	175653	जी0टी0 रोड एन0एच0-91 (एटा शहरी आबादी भाग) मार्ग के वांयी ओर की लेन (चैनेज 202.610 से 205.940) तक मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	3.330	172.30	60.31
12	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710169	बदरिया बरकुला किरामई मार्ग के किमी 10 में 2×3 मी0 सकरी पुलिया के स्थान पर 1×6 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	0.030	55.43	19.40
13	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	715513	अलीपुर बरवारा सहसवान (बदायूं) के मध्य स्थित गंगा नदी सेतु की पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	1.390	44.86	15.70
14	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	715473	कासगंज बाईपास (दो लेन विद पेव्ड शोल्डर) मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 13.000 से 17.200 मे हाई	3.800	71.89	25.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				एम्बैकमेन्ट पर ड्रेन सूट एवं कर्व स्टोन के साथ सुरक्षात्मक कार्य			
15	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710183	गढ़ी पचगई मार्ग से भूपालगढ़ी मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	3.800	113.77	39.82
16	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. कासगंज	710376	कासगंज इस्माईलपुर चिलकुनी कुईया से अल्लीपुर बरवारा मार्ग	4.400	144.86	50.70
17	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. अलीगढ़	120277	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत मिल्क फतेहपुर मार्ग से शेरपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	0.240	210.55	73.69
18	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. अलीगढ़	120052	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जट्टारी पिसावा मार्ग से जहांगीरपुर (ओ0डी0आर0) मार्ग पर मरम्मत का कार्य।	0.480	52.17	18.26
19	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. अलीगढ़	120237	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जट्टारी पिसावा मार्ग से प्रेमपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य।	2.850	73.96	25.89
20	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. अलीगढ़	120035	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत पी0टी0ए0 मार्ग से जलालपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य।	2.350	51.39	17.99
21	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. अलीगढ़	126017	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जलालपुर से राउपुर पिसावा गोठनी मार्ग की मरम्मत का कार्य	3.000	59.95	20.98
22	I/327671/2025 dt 01.11.2 5	नि.ख.-1 अलीगढ़	121436	नानऊ.दादों (एम0डी0आर0.82डब्लू0) के कि0मी0-2, 3 एवं 4 में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	127.16	44.51
23	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 एटा	175613	मथुरा सादाबाद जलेसर अवागढ़ मार्ग (एस0एच0-122) के किमी0 72 (रामगढी) एवं 80 (नगला फतेह) के आबादी भागों में सी0सी0 निर्माण का कार्य।	0.370	99.55	34.84
24	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2 025	नि.ख. कासगंज	710587	गंजडुण्डवारा कादरगंज मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	56.95	19.93
25	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख. कासगंज	710632	सनौडी सिंहमनपुरपुख्ता मार्ग से राजेपुर कुर्रा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	65.17	22.81
26	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख. कासगंज	710583	पटियाली नरदौली मार्ग से प्रीतमपुर हिडौला मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	57.13	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
27	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. अलीगढ़	120203	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कटरा बरौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की मरम्मत का कार्य।	4.700	139.54	48.84
28	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	नि.ख.-1 एटा	175721	वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुन्ना पुल कमसान एल०जी०सी० पटरी मार्ग (अ०जि०मा०) पर विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	4.530	124.74	43.66
29	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. एटा	170114	एटा गंजडुण्डवारा मार्ग से मिलावली मऊअट मऊ तालुका बरौली भोगपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.240	54.71	19.15
30	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130265	मढ़ाका भुकलारा नगला सलेम मार्ग (अ0जि0मा0) पर खौंडा, उघैना व दोहई आबादी में विशेष मरम्मत का कार्य	0.900	124.09	43.43
31	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130641	पिथा का शेष भाग शेरखां होते हुए खुटीपुरी तक	1.800	52.42	18.35
32	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. हाथरस	130284	हाथरस दाऊजी कोटा मार्ग (अ0जि0मा0	0.950	142.99	50.05
33	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. हाथरस	130737	हाथरस दाऊजी कोटा मार्ग से भूडरी मार्ग	0.400	46.35	16.22
34	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. हाथरस	130087	सादाबाद पुरा मार्ग से मढ़ाभोज मार्ग	2.750	49.63	17.37
35	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130460	पुरदिलनगर हसायन से न0 बरी पट्टी देवरी मार्ग	2.600	52.60	18.41
36	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130590	पी0बी0 मार्ग कि0मी0 194 से नगला ब्राहमण मार्ग	2.400	57.84	20.24
37	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130354	एन0एच0 93 से लखूपुरा मार्ग	1.300	111.79	39.13
38	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130261	एन0एच0 93 से मांगरू सहपऊ शिखरा मार्ग (अ0जि0मा0	4.000	76.90	26.92
39	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. हाथरस	130288	इंसौली जलेसर सिकन्द्राराऊ मार्ग (प्र0जि0मा0) पर (आबादी भाग पुरदिलनगर) पर विशेष मरम्मत का कार्य	1.300	111.79	39.13
40	आई/306939/2025, दिनांक 10.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130209	एन0एच0 509 कि0मी0 197 से रोहई कोरना चमरूआ होते हुए दाऊजी कोटा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	4.200	120.52	42.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
41	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130647	दाउजी कोटा से खोडा हजारी मार्ग	0.600	69.54	24.34
42	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	135452	हाथरस दाउजी कोटा मार्ग से नगला अमरा (सरकोरिया आबादी भाग	0.700	81.24	28.43
43	आई/320930/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. हाथरस	130646	हाथरस इगलास रोड से टुकसान की मढ़ैया होते हुए धावस तक मार्ग	2.200	46.65	16.33
44	I/327671/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. हाथरस	130253	हाथरस इगलास मार्ग (अ0जि0मा0	0.350	110.36	38.63
					कुल योग-	**3712.93**	**1299.57**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 12,99,57,000/- (रूपये बारह करोड़ निन्यानबे लाख सत्तावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-557/2025/आई/1139316(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।